विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0022412

सरदार परमजीत सिंह,
वल्द सरदार अजीत सिंह खनूजा, — आवेदक
स्टेशनगंज, गयादत्त वार्ड,
नरसिंहपुर (म.प्र.)

विरूद्ध

1. अधीक्षण यंत्री (संचा/संधा) वृत्त,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
नरसिंहपुर (म.प्र.)

2. कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा) संभाग,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, — अनावेदकगण
नरसिंहपुर (म.प्र.)

3. कार्यपालन यंत्री (सतर्कता) दल क्र. 4,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
नरसिंहपुर (म.प्र.)

(आदेश दिनांक 28.01.2013)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 576/2011 सरदार परमजीत सिंह विरूद्ध अधीक्षण यंत्री (संचा/संधा) वृत्त तथा अन्य दो में पारित आदेश दिनांक 06.01.2012 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसने कृषि कार्य के लिए 30 वर्ष पहले खेत में विद्युत कनेक्शन लिया था, जिसमें 03 हार्सपावर की मोटर लगी हुई थी । उक्त मोटर में आने वाले विद्युत प्रभार का बिल नियमानुसार उसके द्वारा अदा किया जाता था । उसके द्वारा 03 हार्सपावर के विद्युत भार में अतिरिक्त 05 हार्सपावर की बढ़ोतरी का आवेदन विद्युत लायसेंसी के कर्मचारी सहायक यंत्री के समक्ष दिनांक 04.05.09 को दिया था, जिस पर आवश्यक जांच कर उसे डिमाण्ड नोट जारी किया गया था, जिसके अनुसरण में दिनांक 15.05.2009 को उसने रू. 3026/– जमा किये थे, जिसके बाद सहायक यंत्री ने मीटर की खपत 03 हार्सपावर से बढ़ाकर 08 हार्सपावर करने का आश्वासन उसे दिया था । इसके बाद दिनांक 17.03.2011 को 05 हार्सपावर की मोटर डालते समय उसने अनावेदक क्रमांक – 1 के कर्मचारी सहायक यंत्री को इस बात की सूचना दी थी, जिस पर उसे मोटर डालने की अनुमति दी गई थी, परन्तु दिनांक 09.04.11 को विद्युत लाईसेंसी के कर्मचारी कार्यपालन यंत्री सतर्कता अनावेदक द्वारा उसके विद्युत लाईन की जांच की गई थी और उसके ऊपर आर्थिक क्षति के आधार रू. 23492/– जमा करने की सूचना दिनांक 01.05.11 को दी गई थी, उसके द्वारा विद्युत की चोरी नहीं की गई थी, उसके विरूद्ध झूठा मामला बनाया गया है, अतः उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त किया जाए ।

3. अनावेदकगण की ओर से कार्यपालन यंत्री ने उपभोक्ता की शिकायत का विरोध मुख्य रूप से इस आधार पर किया है कि उपभोक्ता ने दिनांक 17.03.11 को 05 हार्सपावर का मोटर डालते समय कोई सूचना

नहीं दी थी । वस्तुतः 16.03.11 को जो आवेदन पत्र शिकायतकर्ता द्वारा संलग्न किया है वह नये बोरवेल में 05 हार्सपावर की मोटर डालने का है, 03 हार्सपावर के मोटर को 08 हार्सपावर का मोटर भार बढ़ाने का नहीं है । दिनांक 09.04.11 को जांच करने पर उपभोक्ता के परिसर में 03 हार्सपावर की मोटर के अतिरिक्त 06 हार्सपावर की विद्युत मोटर का उपयोग किया जाना पाया गया था । अतः विद्युत अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर उसे विद्युत प्रभार की राशि जमा किये जाने का आदेश विधिवत् दिया गया है, जिसे निरस्त किये जाने का कोई आधार नहीं है ।

4. फोरम ने शिकायत को मुख्य रूप से इस आधार पर निरस्त किया था कि उपभोक्ता को साधारण बिल से विद्युत प्रभार अदा किये जाने का आदेश दिया गया है, जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त यह आदेश भी दिया गया था कि वह नये बोरवेल के लिये अतिरिक्त कनेक्शन प्राप्त करने की कार्यवाही करें ।

विचारणीय प्रश्न यह है कि – क्या अनावेदक अर्थात् विद्युत लायसेंसी उपभोक्ता से विद्युत प्रभार की राशि रू. 23492/– वसूल पाने के अधिकारी हैं ।

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–

5. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेख कथन का अवलोकन करने से यह तथ्य साबित होता है कि आवेदक उपभोक्ता ने कृषि प्रयोजन के लिये 03 हार्सपावर की मोटर बोरवेल में सिंचाई के लिए डाली थी । इसी परिसर में उसने एक दूसरा बोरवेल बनाया था, जिसमें 05 हार्सपावर की एक दूसरी मोटर डाली थी । उपभोक्ता ने उक्त 05 हार्सपावर की मोटर डालने के पूर्व विद्युत विभाग से नया कनेक्शन प्राप्त नहीं किया था तथा 09.04.2011 को विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा अर्थात् विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किये जाने पर आवेदक उपभोक्ता द्वारा अवैध रूप से 05 हार्सपावर की विद्युत मोटर का उपयोग करते हुए पाया गया था तथा इसी कारण आवेदक उपभोक्ता के विरूद्ध प्रश्नगत कार्यवाही की गई थी । इस तथ्य के संबंध में उपभोक्ता की ओर से यह तर्क किया गया है कि दिनांक 09.04.11 के पूर्व उसने दिनांक 16.03.2011 को विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारी को लिखित रूप से सूचित किया था कि उसने 05 हार्सपावर की अतिरिक्त मोटर चालू की है, अतः उसे पूर्व में स्वीकृत भार 03 हार्सपावर से बढ़ाकर 08 हार्सपावर किया जाए ।

6. आवेदक उपभोक्ता ने अपने समर्थन में सहायक यंत्री, म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल को प्रेषित पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है, जिसे पताका **'क'** से चिन्हित किया गया है । इस पत्र का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि इस पत्र को दिनांक 16.03.11 को सहायक यंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया । इस पत्र में उपभोक्ता के हस्ताक्षर भी दिनांक 16.03.11 को किये गये हैं तथा पत्र के क से क भाग में एक सील लगी है, जिसमें आवक दिनांक 16.03.11 लेख है । उक्त लेख के ऊपर, ऊपर लेख किया गया है जिसका अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 11.04.11 को सुधार कर उसे 16.03.11 बनाया गया है । संदेह के निराकरण के लिए संबंधित कम्पनी के मूल आवक पंजी को बुलाया गया, जिसका अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि वस्तुतः आवेदक उपभोक्ता द्वारा पताका **'क'** से चिन्हित पत्र दिनांक 16.03.11 सहायक यंत्री के कार्यालय में दिनांक 11.04.11 को प्रस्तुत किया था । उक्त पंजी से यह स्पष्ट होता है कि पताका **'क'** से चिन्हित पत्र के क से क भाग में 16.03.11 से चिन्हित अंकों को सुधारा गया है अर्थात् 11.04.11 को 16.03.11 के रूप में परिवर्तित किया गया है । यद्यपि वितरण कम्पनी की उक्त आवक पंजी प्रमाणित नहीं की गई है, परन्तु पंजी पृष्ठांकित है और पंजी में दिन प्रतिदिन प्रविष्टियां की गई है, ऐसी स्थिति में उक्त पंजी को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है ।

7. आवेदक उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत पत्र जो पताका **'क'** से चिन्हित है, का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 09.04.11 को कार्यपालन यंत्री (सतर्कता) की सतर्कता टीम द्वारा निरीक्षण किये जाने पर अवैध रूप से 05 हार्सपावर के विद्युत मोटर का उपयोग करना पाया जाने पर आवेदक उपभोक्ता द्वारा बचने के लिए दिनांक 11.04.11 को सहायक यंत्री के समक्ष पताका **'क'** से चिन्हित पत्र प्रेषित किया था और उसके द्वारा यह दर्शानें का प्रयास किया था कि दिनांक 09.04.11 को सतर्कता दल द्वारा निरीक्षण किये जाने के पहले ही उसने विद्युत वितरण कम्पनी के कर्मचारी को 05 हार्सपावर का मोटर बोरवेल में डालने की सूचना दे दी थी ।

8. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 09.04.11 को सतर्कता दल द्वारा निरीक्षण किये जाने पर आवेदक उपभोक्ता के यहां 05 हार्सपावर का विद्युत मोटर का उपयोग किया जाना पाया गया था। उक्त मोटर के लिए आवेदक उपभोक्ता ने विद्युत मण्डल से अनुमति प्राप्त नहीं की थी । वह अवैध रूप से विद्युत मोटर का उपयोग कर रहा था । अतः विद्युत वितरण कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा उसके विरूद्ध जो कार्यवाही की गई थी, वह उचित तथा विधिवत् थी । उक्त कार्यवाही में किसी तरह की अनियमितता नहीं की गई थी । अनावेदक गण द्वारा प्रस्तावित विद्युत प्रभार उपभोक्ता से वसूल किए जाने योग्य है । आवेदक उपभोक्ता की शिकायत को निरस्त किये जाने का जो आदेश फोरम द्वारा दिया गया है, वह उचित है । उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है । अतः उक्त आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है ।

9. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आवक पंजी संबंधित विभाग को वापस हो । आदेश की प्रति निशुल्क संबंधित पक्षकारों की दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल